आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 10.04.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- द्वीपों में उन्नीस अप्रैल को होने वाले आम चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से सख्त निर्देश जारी किया गया है।
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी पर उम्मीदवार चुनाव बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों से पूरी निष्टा के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का अनुरोध किया है।
- अंडमान निकोबार पुलिस ने आइलैण्डस साइबर सारथी चैटबोट की शुरूआत की
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ईद–उल–फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उन्नीस अप्रैल को होने वाले आम चुनाव का स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने सख्त मतदान दिवस जारी किया है। मतदान केन्द्रों के पास वाहनों की आवाजाही और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा चुनाव एजेंट के उपयोग के लिए भी एक ही वाहन की अनुमति है। संबंधित वाहनों में लगे मतदान दिवस के अनुमति को वाहनों की विन्ड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों को अवैध रूप से किराए पर लेना चुनावी अपराध है, जिसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वाहन में ड्राईवर सहित पांच व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं है। वोट डालने के लिए मतदान केन्द्रो पर जाने के लिए मालिको द्वारा स्वयं या सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे तक जाने की अनुमति है।

मतदान केन्द्र के पास वोटो के लिए प्रचार का कार्य, किसी निर्वाचक से वोट मांगना, किसी निर्वाचक को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए राजी करना, मतदान केन्द्र के सौ मीटर के भीतर किसी भी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित करना या चुनाव से संबंधित कोई भी नोटिस या संकेत प्रदर्शित करने की सख्त मनाही है।

<><><><><><><>

विभिन्न पार्टियों के अपने एजेंटो या पार्टी कार्यकताओं को मतदाताओं को अनौपचारिक पर्चियों के वितरण के लिए मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी पर एक मेज़ और दो कुर्सियों के साथ स्थापित करने की अनुमति है। इसके अलावा धूप और बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर छाता या तिरपाल के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते है। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि वे जागरूक मतदाता बनकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करे।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों से पूरी निष्टा के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का अनुरोध किया है। कल डीब्रेट के सभागार में पोर्ट ब्लेयर तहसील के चुनाव ड्यूटी में तैनात पीठासीन और मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित तीसरे और अंतिम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान में चुनाव कर्मियों को कोई शंका नहीं रहेगी और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगें। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन सुबह साढ़े पांच बजे से बनावटी मतदान शुरू हो जाना चाहिए। चुनाव अधिकारी कार्यालय मतदान के दिन प्रतिघंटे दो रिपोर्ट एकत्र करेगा। उन्होंने ई वी एम और वी वी पैट मशीन का पूरी सावधानी के साथ संचालन करने को कहा। इन मशीनों के काम न करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारियों को तुरन्त सेक्टर अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी, ताकि इनके साथ चल रहे ई सी आई एल के इंजीनियर तुरन्त मशीन की मरम्मत कर सके या उसे बदल सके। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों में मतदान ठीक शाम छः बजे बन्द हो जानी चाहिए। श्रोत अधिकारी सोम नायडू ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस ने तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईलैंड साइबर सारथी चैटबोट प्रारंभ किया है। यह अत्याधुनिक साइबर चैटबोट पुलिस के प्रयासों का परिणाम है, जो साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। पोर्ट ब्लेयर में कल मीडिया को जानकारी देते हुए सी आई डी के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने हाल ही में इस सेवा की विधिवत शुरूआत की। इसके माध्यम से साइबर अपराध और उनकी रोकथाम में सहयोग मिलेगा। श्री राजीव रंजन ने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

सीसीएस पुलिस ने चार सौ पांच ग्राम गांजा के साथ टुसनाबाद निवासी विशाल सिंह को गिरफ्तार किया है। विशाल सिंह पर पहले भी कई अन्य मामलों पर मुकादमा दर्ज था। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपने रिश्तेदार आर. तिरूमुरगन का नाम लिया, जिसके पास से पुलिस को एक सौ पांच ग्राम गांजा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दो अप्रैल से अब तक आबकारी के कई मामले दर्ज हुए हैं और इन सबके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में भारत में बनी विदेशी शराब की बोतले और लहान भी बरामद किया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ईद–उल–फित्र का त्यौहार ग्यारह अप्रैल को मनाया जाएगा। कल द्वीपों में चांद न दिखाई देने के कारण अंडमान निकोबार हिलाल समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि द्वीपों में अब ईद–उल–फित्र का त्यौहार ग्यारह अप्रैल को मनाया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या मतदाताओं को प्रलोभन देने की घटना को रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से कड़ी चौकसी बरती जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मोनिका भारद्वाज ने हाल ही में दक्षिण अंडमान जिले के कुछ चेक प्वाइंट का निरीक्षण किया। रात्रि दस बजे से मध्य रात्रि साढ़े बारह बजे तक किए गए निरीक्षण का उद्देश्य उड़न दस्ते की टीम, राज्य निगरानी टीम और अन्य पुलिस टीम द्वारा चेक प्वाइंट पर दिए जा रहे ड्यूटी का निरीक्षण करना था। निरीक्षण में यह पाया गया कि ड्यूटी में तैनात कर्मियों द्वारा बड़ी मुस्तैदी के साथ सार्वजनिक व निजी सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि द्वीपों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वाहनों की जांच करते समय बुजुर्ग लोगों, बच्चों के साथ महिलाओं और चिकित्सा आपातकालीन के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण और विशेष सावधानी बरतने को कहा। श्री जगलान ने अधिकारियों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई को करने और तुरंत ऐसे सामग्रियों को बेहिचक जब्त करने को कहा। कार्रवाई के दौरान आम जनता को परेशानी न हो, इस पर भी ध्यान रखने को कहा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के बारे में सी–विजिल मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करने को कहा।

<><><><><><><>

पर्यावरण एवं वन विभाग और ग्राम पंचायत रामनगर के सहयोग से रामनगर तट पर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रामनगर के विद्यार्थियों के लिए तटीय जैव विविधता पर जागरूकता विषय पर रेत कलाकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय के अवकाश प्राप्त कलाकार महानन्दा गोमस्ता और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के वरिष्ठ कलाकार के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत प्रधान मिथुन दास ने अपने संबोधन में कहा कि रेत पत्थरों और खनिजों का मिश्रण है और इसके उपयोग से विद्यार्थियों को रेत कलाकारी का हुनर सीखने को कहा। इस कार्यशाला में करीब तैंतीस विद्यार्थियों ने भाग लिया।

<><><><><><><>